

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 402682

पटना, दिनांक 21/12/18

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(PMAY अन्य)-102-40/2018

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में अतिरिक्त परिवारों को शामिल करने के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 370600 दिनांक-22.05.2018, पत्रांक- 384465 दिनांक- 14.08.2018, पत्रांक- 387887 दिनांक-07.09.2018 एवं पत्रांक- 389805 दिनांक- 20.09.2018 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण अन्तर्गत भारत सरकार से SECC 2011 के आँकड़ों के आधार पर आवास की आवश्यकता वाले परिवारों में छूटे हुए परिवारों का नाम शामिल करने हेतु विभागीय पत्रांक-370600 दिनांक- 22.05.2018 से चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारित करते हुए इस कार्य को 30.06.2018 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया था । तत्पश्चात केन्द्र सरकार की सहमति से इस तिथि को विस्तारित करते हुए अंतिम तिथि दिनांक-30.11.2018 निर्धारित की गई थी । जिसके अन्तर्गत प्रक्रिया को पूरा कर लेना था ।

इसके बावजूद कतिपय जिलों के उप विकास आयुक्तों द्वारा अवधि विस्तारित करने का मौखिक अनुरोध किया जा रहा है । विदित है कि पूर्व में भी आवास की आवश्यकता वाले छूटे हुए परिवारों का नाम शामिल करने की तिथि कई बार विस्तारित की गई है । परंतु किसी विशेष कारणवश यदि किसी जिला को इस कार्य हेतु अतिरिक्त अवधि की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए विभाग को अनुरोध पत्र भेजने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन




(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

जापांक 402682

पटना, दिनांक 21/12/18

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के सचिव